प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 840/2022

अनवान : –

1. जयसिंह पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील व जिला सिरसा।

–वादी

बनाम्

1. राजेश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील व जिला सिरसा।
2. सतवीर पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील व जिला सिरसा।
3. अमीत पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील व जिला सिरसा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांकः 23/5/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 3/3 कि कुल 34.8640है0 भूमि में से 3795/69728 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक ख्यालीराम पुत्र जोतराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वाद भूमि ख्यालीराम पुत्र जोतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो की वादी स0 1एवं वादी स0 1 ता 3 का दादा है। ख्यालीराम पुत्र जोतराम फौत हो चुका है। ख्यालीराम पुत्र जोतराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 03.12.2019 को एक वसीयत की थी मुताबिक वसीयत उक्त वाद भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में बहिब व 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में एव 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत प्रतिवादी स0 3 के पक्ष में करवाई थी। वसीयतकर्ता की यह अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ख्यालीराम पुत्र जोतराम ने होश हवाश के साथ दो गवाहन आत्माराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर व ब्रज प्रकाश पुत्र आदराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर अंगुठा किया था तथा वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर ... पब्लिक के.एस. खुडिया नोहर से तस्दीकशुदा है। उपरोक्त वसीयत भूमि ... विवाद व स्थगन आदि नही है तथा ख्यालीराम पुत्र जोतराम के देहान्त के बाद वसीयत भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
नोहर (हनुमानगढ)

3 मुताबिक वसीयत काबिज चले आ रहे है। वादी न्यायालय से मुताबिक वसीयत अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया गया। प्रतिवादी स0 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया कि राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है। वादी ने वाद के समर्थन में वादी ने बतौर दस्तावेजी सबूत मुल वसीयत ईएक्सपी–1, बैयनामा दिनांक 07.06.1983 की प्रमाणित प्रति की चित्रप्रति ईएक्सपी–2, रोही मौजा 23 डीपीएन जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 3/3 की जमाबंदी ईएक्सपी–3, मृत्यु प्रमाण पत्र ख्यालीराम ईएक्सपी–4, गवाह बयान ब्रज प्रकाश पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया कि ख्यालीराम पुत्र जोतराम जाति जाट द्वारा अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत दिनांक 03.12.2019 को करवाई थी उक्त वसीयत में मैने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किये थे तथा वसीयतकर्ता ख्यालीराम पुत्र जोतराम द्वारा की गई वसीयत बिल्कुल सही है जो वसीयतकर्ता ने अपने होश हवाश में वसीयत करवाई थी आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि जो कि ख्यालीराम पुत्र जोतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है कि ख्यालीराम पुत्र जोतराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 03.12.2019 को एक वसीयत अपने चार पौत्रों के पक्ष में करवाई थी। वादी वसीयत के अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 3/3 कि कुल 34.8640है0 भूमि में से 3795/69728 हिस्सा भूमि वादी के दादा मृतक ख्यालीराम पुत्र जोतराम के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि की पत्रावली में संलग्न वसीयत ईएक्सपी–1 से साबित होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा ख्यालीराम पुत्र जोतराम ने दिनांक 03.12.2019 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार मुताबिक वसीयत उक्त वाद भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में बहिब व 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में एव 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत प्रतिवादी स0 3 के पक्ष में करवाई थी। ख्यालीराम द्वारा यह वसीयत गवाहन आत्माराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर व ब्रज प्रकाश पुत्र आदराम जाति जाट निवासी दीपलाना की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर हस्ताक्षर किया था तथा वसीयत पर गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त वसीयत के संबंध में गवाहन ब्रज प्रकाश पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया कि ा ख्यालीराम पुत्र जोतराम के द्वारा उक्त वाद भूमि की दिनांक 03.12.2019 को की गई वसीयत को सही होना बताया है तथा वसीयत में बतौर गवाह हस्ताक्षर किये जाना भी स्वीकार किया है तथा ईएक्सपी–2 बैयनामा दिनांक 07.06.1983 से यह साबित है कि उक्त वाद भूमि ख्यालीराम पुत्र जोतराम की स्वअर्जित भूमि है। अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 3/3 कि कुल 34.8640है0 भूमि में से 3795/69728 हिस्सा भूमि ख्यालीराम पुत्र जोतराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ख्यालीराम पुत्र जोतराम का नाम कलमजन किया जाकर 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/5/25 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखवाया सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:13 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दीपलाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 840/2022

अनवान : –

1. जयसिंह पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील व जिला सिरसा।

–वादी

बनाम्

1. राजेश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील व जिला सिरसा।
2. सतवीर पुत्र आत्माराम जाति जाट निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील व जिला सिरसा।
3. अमीत पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी रामपुरा ढिल्लो तहसील व जिला सिरसा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 840 सन 2022 निर्णय दिनांक 24.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 23 डीपीएन तहसील नोहर जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता स0 3/3 कि कुल 34.8640है0 भूमि में से 3795/69728 हिस्सा भूमि ख्यालीराम पुत्र जोतराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ख्यालीराम पुत्र जोतराम का नाम कलमजन किया जाकर 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी स0 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.12.23..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:24:13 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–दीपलाना